न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या– 35/2016

1. अख्तर अली । पिसरान पीरल जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा
2. मुन्ताज अली । पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
3. जरीना पुत्री पीरल पत्नी शमशेर जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
4. मुन्नी पुत्री पीरल पत्नी सरवर जाति मुसलमान निवासी पुरानी छावनी तहसील के पास खेरागढ तहसील खेरागढ जिला आगरा यू0पी0
5. अनवरी वेवा पीरल जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुराना शहर धौलपुर तहसील जिला धौलपुर
6. खलील पुत्र जमील । जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुराना शहर तहसील व
7. सलीम पुत्र जमील । जिला धौलपुर
8. वसीम पुत्र जमील ।
9. नदीम पुत्र जमील ।
10. बबीना पुत्री जमील पत्नी मुन्ना निवासी चमरपाडा बाडी तहसील बाडी
11. सजिया पुत्री जमील पत्नी नसीर निवासी बुढेरा तहसील खेरागढ जिला आगरा यूपी
12. मोनू उम्र 15 वर्ष । पिसरान जमीन नाबालिगान सरपरस्ती भाई खलील पुत्र जमील
13. आसिया उम्र 12 वर्ष। जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुराना शहर धौलपुर

.............वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर। ....प्रतिवादीगण

दावा बावत् स्वत्व घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – 1. श्री सुरेश कटारा एडवोकेट––वादीगण की ओर से
2. श्री गोपाल नारायण एडवोकेट –प्रतिवादीगण की ओर से

दिनांक 17.06.2022

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 142 रकवा 2 विस्वा जिसका गत खसरा नम्बर 112, आराजी खसरा नम्बर 148 रकवा 10 विस्वा जिसका गत खसरा नम्बर 118 बाकै ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर है, गत आराजी खसरा नम्बर 112, 118 बाकै ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

पर पीरल पुत्र इनायत अली कौम मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुराना शहर धौलपुर खातेदार काश्तकार थे मौके पर काबिज थे। तहसील धौलपुर में सम्वत् 2020 में बन्दोवस्त शुरू हुआ, बन्दोवस्त विभाग ने गत खसरा 112 का हाल खसरा नम्बर 142, गत खसरा 118 का हाल खसरा नम्बर 148 बाकै ग्राम मालीपुरा कायम किया गया। बन्दोवस्त विभाग ने सम्वत् 2028 में खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 142 पर पीरा पुत्र इनायत कौम मुसलमान (तेली) साकिन धौलपुर खातेदार एवं खाता संख्या 67 खसरा नम्बर 148 बाकै ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर पर पीरा पुत्र इनायत अली जाति मुसलमान (भिस्ती) निवासी धौलपुर खातेदार अंकित कर दिया। जबकि बन्दोवस्त विभाग ने गत इन्द्राज को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बदलने का क्षेत्राधिकार नही जबकि एक ही व्यक्ति को दो अलग–अलग जाति में दर्शाया गया है, जो गलत है काबिज दुरस्ती है, पीरा पुत्र इनायत अली का देहान्त 17.02.1998 में हो गया। पीरल पुत्र इनायत अली के देहान्त के बाद नामान्तकरण स्वीकार नहीं किया क्योंकि राजस्व अभिलेख में मुसलमान (तेली) एवं मुसलमान (भिस्ती) अंकित है पटवारी हल्का ने भिन्न जाति होने के कारण पीरल के बाद नामान्तकरण राजस्व अभिलेख में नहीं किया जबकि विवादित आराजी में वादी नम्बर 1 लगायत 5 प्रत्येक 1/6–1/6 भाग कुल 5/6 भाग वादी संख्या 6 लगाय13 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार है तथा संयुक्त से काबिज है। राजस्व अभिलेख में बन्दोवस्त विभाग ने मुसलमान (तेली) एवं मुसलमान (भिस्ती) का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किया है वह विला सक्षम अधिकारी के आदेश के किया जो काबिल दुरस्ती है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में एक ही व्यक्ति पीरा पुत्र इनायत अली की दो जाति मुसलमान (तेली) व मुसलमान (भिस्ती) अंकित की है जो दुरस्त किया जाकर तेली व भिस्ती लोपित कर जाति मुसलमान अंकित शुद्ध किया जाने एवं विवादित आराजी में वादी सं0 1 लगायत 5 को 5/6 भाग व वादी संख्या 6 लगायत 13 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार तहसीदार धौलपुर उपस्थित आये और जबाबदावा पेश किया कि विवादित आराजी पीरा पुत्र इनायत कौम मुसलमान तेली साकिन धौलपुर का खातेदार काश्तकार था वादीगण पीरा के उत्तराधिकारी है दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं है, इसलिये वादीगण को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित आराजी पर वादीगण का मौके पर कब्जा नहीं है बिना कब्जा दावा काबिल खारिजी है। वादीगण में दावा पेश करने से पूर्व प्रतिवादीगण को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है, एवं वादकारण ना होने कारण दावा वादीगण काबिली खारिजी है, अतः दावा वादीगण मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

उभयपक्ष के लिखित अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई:–

1. आया विवादित आराजी का पीरल पुत्र इनायत खातेदार काश्तकार था। पीरल का देहान्त हो चुका है, वादीगण उत्तराधिकारी है। ....वादीगण
2. आया वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। ....वादीगण
3. आया वादीगण विवादित आराजी पर वर्तमान इन्द्राज को लोपित कराकर अपने नाम बतौर खातेदार इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है। ....वादीगण
4. वादीगण पीरा के उत्तराधिकारी है इसका कोई साक्ष्य नहीं है, मौके पर कब्जा नहीं होने के कारण कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ....प्रतिवादीगण
5. अनुतोष

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमावन्दी सम्वत्2018–21 ग्राम मालीपुरा प्रदर्श –1, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम मालीपुरा प्रदर्श–2, नकल खसरा बन्दोवस्ती ग्राम मालीपुरा सम्वत् 2020 प्रदर्श–3, नकल मिसिल बन्दोवस्त ग्राम मालीपुरा सम्वत् 2028 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी ग्राम मालीपुरा सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–5, नकल नामान्तकरण ग्राम मालीपुरा संख्या 2096 प्रदर्श–6, नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदर्श–7, रसीद रजिस्ट्री प्रदर्श–8, रसीद प्राप्ति प्रदर्श–10 व 11 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पीर अली की छाया प्रति पेश की है। मौखि साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 1 अख्तरअली, पी0डब्ल्यू0 2 पप्पू, पी0डब्ल्यू0 3 जीमल खॉ के बयान कराये।

प्रतिवादीगण ने अपने जबाबदावा के समर्थन मौखिक साक्ष्य में पटवारी हल्का शेखूपुर के बयान कराये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी के गत आराजी खसरा नम्बर 112, 118 बाकै ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर पर पीरल पुत्र इनायत अली कौम मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुराना शहर धौलपुर खातेदार काश्तकार थे एवं मौके पर काबिज थे। बन्दोवस्त विभाग ने गत खसरा 112 का हाल खसरा नम्बर 142, गत खसरा 118 का हाल खसरा नम्बर 148 बाकै ग्राम मालीपुरा कायम किया गया। एवं खसरा नम्बर 142 पर पीरा पुत्र इनायत कौम मुसलमान (तेली) साकिन धौलपुर खातेदार एवं खसरा नम्बर 148 बाकै ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर पर पीरा पुत्र इनायत अली जाति मुसलमान (भिस्ती) निवासी धौलपुर खातेदार अंकित कर दिया। एवं अलग–अलग खाते कायम कर दिये, जबकि बन्दोवस्त विभाग को गत इन्द्राज को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बदलने का क्षेत्राधिकार नही जबकि एक ही व्यक्ति को दो अलग–अलग जाति में दर्शाया गया है, पीरा पुत्र इनायत अली का देहान्त 17.02.1998 में हो गया। पीरल पुत्र इनायत अली के

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

वारिसानों का नामान्तकरण पटवारी हल्का ने भिन्न जाति होने के कारण राजस्व अभिलेख मे नहीं किया जबकि विवादित आराजी में वादी नम्बर 1 लगायत 5 प्रत्येक 1/6-1/6 भाग कुल 5/6 भाग वादी संख्या 6 लगाय13 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार है तथा सयुक्त से काबिज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में एक ही व्यक्ति पीरा पुत्र इनायत अली की दो जाति मुसलमान (तेली) व मुसलमान (भिस्ती) अंकित की है जो दुरस्त किया जाकर तेली व भिस्ती लोपित कर जाति मुसलमान अंकित शुद्ध किया जाने एवं विवादित आराजी में वादी सं0 1 लगायत 5 को 5/6 भाग व वादी संख्या 6 लगायत 13 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया है।

विवादित आराजी पर पीरा पुत्र इनायत कौम मुसलमान तेली साकिन धौलपुर का खातेदार काश्तकार था, वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादीगण पीरा के उत्तराधिकारी है विवादित आराजी पर वादीगण का मौके पर कब्जा नहीं है, वादीगण में दावा पेश करने से पूर्व प्रतिवादीगण को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है, दावा वादीगण काबिली खारिजी है, अतः दावा वादीगण मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत साक्ष्य पर मनन किया गया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :-

तनकी नम्बर–1

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2018–21 ग्राम मालीपुरा प्रदर्श –1 में गत खसरा नम्बर 112 एवं 118 बाकै ग्राम मालीपुरा पर पीरा बल्द इनायत कौम मुसलमान साकिन खातेदार दर्ज है, नकल मिलान क्षेत्रफल मौजा मालीपुरा तहसील धौलपुर सम्वत् 2028 प्रदर्श–2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 142 व 148 बाकै ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर गत खसरा नम्बर 112, 118 बाकै ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर से बने है। खसरा बन्दोवस्ती बाकै ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर सम्वत् 2020 प्रदर्श–3 में खसरा नम्बर 142 पर पीरा बल्द इनायत जाति तेली मुसलमान एवं खसरा नम्बर 148 पर पीरा बल्द कौम भिस्ती मुसलमान खसरा बन्दोवस्ती में दर्ज है। मिसल बन्दोवस्त ग्राम मालीपुरा सम्वत् 2028 प्रदर्श–4 में खसरा नम्बर 142 पर पीरा पुत्र इनायत कौम मुसलमान (तेली) एवं खसरा नम्बर 148 पर पीरा पुत्र इनायत अली कौम मुसलमान (भिस्ती) दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–5 में भी इसी प्रकार से इन्द्राज चले आ रहे है। चूंकि उक्त दोनों खसरा नम्बर 142 व 148 गत खसरा नम्बर 112 व 118 से बने है, एवं गत खसरा नम्बर 112 व

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज)

118 पर पीरा बल्द इनायत कौम मुसलमान की खातेदारी दर्ज है, बन्दोवस्त विभाग द्वारा कायम हाल खसरा नम्बर कमशः 142 पर पीरा बल्द इनायत कौम मुसलमान (तेली) व 148 पर पीरा बल्द इनायत कौम मुसलमान (भिरती) अंकित किया है, इससे यह सिद्ध होता है कि बन्दोवस्त विभाग से सहवन से पीरा बल्द इनायत की जाति भिन्न–भिन्न दर्ज हो गई है। नामान्तकरण संख्या 296 दिनांक 26.05.2007 प्रदर्श–6 में पटवारी हल्का द्वारा जो पीरा बल्द इनायत अली का शिजरा प्रस्तुत किया गया है, उसमें पीरा बल्द इनायत के वारिसान वादी संख्या 1 लगायत 13 बताये गये है। पटवारी हल्का की शिजरा रिपोर्ट पर पीरा बल्द इनायत जाति मुसलमान के स्थान वादीगण के नाम से नामांतकरण खोला गया है, डी0डब्ल्यू0 1 पटवारी हल्का ने अपने बयानों में बताया है कि नामांतकरण संख्या 296 के अनुसार पीरल पुत्र इनायत अली का नामांकरण विरासत दिनांक 06.06.2007 को दर्ज हो चुका है परन्तु खसरा नम्बर 142, 148 पर विरासत का नामांतकरण जाति भिन्न–भिन्न दर्ज होने के कारण नही हुआ है यह बात सही है कि दोनों खातों में राजस्व रिकार्ड में पीरा पुत्र इनायत अली एक ही नाम दर्ज है। इस प्रकार वादीगण अपने कथनों को सिद्ध करने में सफल रहे हैं। उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है, तनकी संख्या 1 की विवेचना के आधार पर विवादित आराजी पर पीरा बल्द इनायत जाति मुसलमान की खातेदारी दर्ज है एवं वादीगण पीरा पुत्र इनायत जाति मुसलमान के वारिसान सिद्ध होते है। वारिसान होने के कारण वादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

तनकी संख्या 3:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 में यह सिद्ध हो चुका है कि बन्दोवस्त विभाग से सहवन से पीरा बल्द इनायत की जाति भिन्न–भिन्न दर्ज हो गई थी और वर्तमान में भी इसी प्रकार से इन्दाज चले आ रहे है। उक्त इन्द्राज के कारण वादीगण का विवादित आराजी पर नामांतकरण नहीं हो पा रहा है। नामांतकरण संख्या 296 दिनांक 26.05.2007 के अनुसार वादीगण पीरा बल्द इनायत जाति मुसलमान के वारिसान है, और पीरा के बाद विरासतन विवादित आराजी पर उनका हित निहित है। इस प्रकार वादीगण विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार अधिकार रखते है। उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

तनकी संख्या 4:— इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है। नामान्तकरण संख्या 296 दिनांक 26.05.2007 प्रदर्श–6 में पटवारी हल्का द्वारा जो पीरा बल्द इनायत अली का शिजरा प्रस्तुत किया गया है, उसमें पीरा बल्द इनायत के वारिसान वादी संख्या 1 लगायत 13 बताये गये है। पटवारी हल्का की शिजरा रिपोर्ट पर पीरा बल्द इनायत जाति मुसलमान के स्थान पर तहसीलदार धौलपुर द्वारा वादीगण के नाम से नामांतकरण खोला गया। पी0डब्ल्यू0 2 पप्पू एवं पी0डब्ल्यू0 3 जीमल खॉ के बयानो में वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा बताया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

अनुतोषः— उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 142 पर दर्ज खातेदार का नाम पीरा बल्द इनायत जाति मुसलमान (तेली) एवं खसरा नम्बर 148 पर दर्ज खातेदार का नाम पीरा बल्द इनायत जाति मुसलमान (भिस्ती) एक ही है। एवं वादीगण उसके वारिसान है। इसलिए हम दावा वादीगण डिकी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादीगण बिरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 142 रकवा 2 विस्वा, 148 रकवा 10 विस्वा बाकै ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर पर कमशः पीरल पुत्र इनायत अली जाति मुसलमान (तेली) व पीरल पुत्र इनायत अली जाति मुसलमान (भिस्ती) का अंकन लोपित कर पीरल पुत्र इनायत अली जाति मुसलमान शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/6–1/6 भाग का व वादीगण संख्या 6 लगायत 13 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी अलग से बनाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : उपखण्डाधिकारी धौलपुर

व इजलास : भारती भारद्वाज (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 35 / 2016

बमुकः—

1. अख्तर अली । पिसरान पीरल जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा
2. मुन्ताज अली । पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
3. जरीना पुत्री पीरल पत्नी शमशेर जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
4. मुन्नी पुत्री पीरल पत्नी सरवर जाति मुसलमान निवासी पुरानी छावनी तहसील के पास खेरागढ तहसील खेरागढ जिला आगरा यू0पी0
5. अनवरी वेवा पीरल जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुराना शहर धौलपुर तहसील जिला धौलपुर
6. खलील पुत्र जमील । जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुराना शहर तहसील व
7. सलीम पुत्र जमील । जिला धौलपुर
8. वसीम पुत्र जमील ।
9. नदीम पुत्र जमील ।
10. बबीना पुत्री जमील पत्नी मुन्ना निवासी चमरपाडा बाडी तहसील बाडी
11. सजिया पुत्री जमील पत्नी नसीर निवासी बुढेरा तहसील खेरागढ जिला आगरा यूपी
12. मोनू उम्र 15 वर्ष । पिसरान जमीन नाबालिगान सरपरस्ती भाई खलील पुत्र जमील
13. आसिया उम्र 12 वर्ष। जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुराना शहर धौलपुर

.............वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर। ....प्रतिवादीगण

दावा बावत् **स्वत्व घोषणा,** दुरूस्ती इन्द्राज

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ भारती भारद्वाज (आर.ए.एस.) व हाजिरी मिनजानिव मुद्दई श्री सुरेश कटारा व मिनजानिव मुद्दायलह श्री गोपाल नारायण एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी बिरूद्व प्रतिवादीगण डिकी क्रिया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 142 रकवा 2 विस्वा, 148 रकवा 10 विस्वा बाकै ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर पर कमश': पीरल पुत्र इनायत अली जाति मुसलमान (तेली) व पीरल पुत्र इनायत अली जाति मुसलमान (भिस्ती) का अंकन लोपित कर पीरल पुत्र इनायत अली जाति मुसलमान शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/6–1/6 भाग का व वादीगण संख्या 6 लगायत 13 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.06.2022 को जारी की गई।

(भारती भारद्वाज)

उपखण्डाधिकारी

धौलपुर (राज.)